



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238637  
CG-DL-E-07092022-238637

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3986]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944

No. 3986]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2022

का.आ. 4167(अ)— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला, नौसेना साइबर समूह, तालकटोरा अनुबंध, नई दिल्ली, को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

कार्यक्षेत्र : (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायविज्ञान-फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर;

(ख) मोबाइल उपकरण न्यायविज्ञान

[फा. सं. 2(5)/2021- सी. एस. डी]

डॉ. राजेन्द्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2022

S.O. 4167 (E).—In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies Cyber Forensics Laboratory, Navy Cyber Group, Talkatora Annex, New Delhi as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely:-

- 
- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;  
(b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. 2(5)/2021-CSD]  
Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.